न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 143 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/154)

पंजीयन दिनांक– 04.03.2021

निर्णय दिनांक– 24.08.2021

1. श्री उदयलाल पिता रामचन्द्र ब्राह्मण, निवासी धनेतकला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री रामेश्वरलाल पिता भैरूलाल ब्राह्मण, निवासी धनेतकला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री मदनलाल पिता भैरूलाल ब्राह्मण, निवासी धनेतकला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. नगर विकास न्यास, जरिये अध्यक्ष नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ जरिये आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री प्रमोद दाणी – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश
क्रमांक / राजस्व / 12–6(5)12 / नपाचि / 727 दिनांक 03.05.2012

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक / राजस्व / 12–6(5)12 / नपाचि / 727

दिनांक 03.05.2012 के विरूद्ध दिनांक 31.10.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम, के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–6(5)12/नपाचि/727 दिनांक 03.05.2012 में वर्णित पेराफेरी ग्राम धनेतकलां की राजकीय बिलानाम आराजी किता 68 रकबा 23.36 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ के पक्ष में आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित/आवंटित की गई। उक्त आदेश में वर्णित आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 1029 रकबा 0.79 हैक्टेयर भी रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम पर दर्ज किये जाने का निर्णय पारित कर दिया व उक्त निर्णय व आदेश के आधार पर आराजी नम्बर 1029 रकबा 0.79 हैक्टेयर अन्य आराजीयात के साथ नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ के आदेश दिनांक 25.03.2014 से रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम पर दर्ज किये जाने से अप्रसन्न होकर एवं व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री प्रमोद दाणी उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.08.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात अपीलांट्स के पिता रामचन्द्र व रामेश्वरलाल के समय से बिलानाम होकर अपीलांट के पिता रामचन्द्र व रामेश्वरलाल के कब्जे काश्त में चली आ रही थी व जुर्माना राशि जमा कराते चले आ रह थे। ऐसी स्थिति में मौजा धनेतकलां की आराजी नम्बर 1029 रकबा 0.79 हैक्टेयर नियमन योग्य थी, व वक्त आदेश दिनांक 03.05.2012 को अपीलांट के कब्जे में थी। जब उक्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम पर आवंटित की गयी थी उस समय खाली नहीं थी फिर भी अन्य आराजीयात के साथ इस आराजी को भी खाली होना मानते हुए रेस्पोडेंट सख्या 2 के नाम पर आवंटित कर दी गयी, व उसके पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट भूमिहीन होकर सद्भावी काश्तकार है, व अपीलांट व अपीलांट के परिवार का जीवीकोपार्जन का साधन कृषि हैं। कृषि कार्य हेतु अपीलांट के पर्याप्त कृषि भूमि नहीं होने से विगत 50 वर्ष पूर्व से अपीलांट्स बिलानाम काबिल काश्त भूमि पर अतिचार कर काबिज होकर नियमित काश्त करते चले आ रहे है व वक्त आवंटन उक्त भूमि खाली नही होकर अपीलांट के कब्जे में थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व रेस्पोडेंट संख्या 3 की रिपोर्ट के आधार उक्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या 2 के

नाम पर आबादी हेतु आवंटित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय एवं आदेश से अपीलांट्स के हित प्रभावित होने से अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नही होने से धारा 96 जा. दी. के साथ अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2012 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रस्ताव व अभिशंषा अनुसार राजकीय नियमों के अंतर्गत उक्त आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2012 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/12–6(5)12/नपाचि/727 दिनांक 03.05.2012 में वर्णित पेराफेरी ग्राम धनेतकलां की राजकीय बिलानाम आराजी किता 68 रकबा 23.36 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ के पक्ष में आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित/आवंटित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2012 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि को दिनांक 03.05.2012 को नगरपालिका चित्तौड़गढ़, वर्तमान में रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 को आवंटित की है जो कालांतर में क्षेत्राधिकार के आधार पर रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 नगर विकास प्रन्यास के नाम आबादी प्रयोजनार्थ दर्ज हो गयी है। प्रकरण में दिनांक 03.05.2012 के आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व से होने का कोई तथ्य रेकर्ड पर नहीं है, अतएवं अपीलाण्ट द्वारा दिये गये दफा 5 जा.दी. के आवेदन एवं शपथ–पत्र के आधार पर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट के दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आवेदन में एवं अपील मेमों में दिये गये तथ्यों के अनुसार विवादित भूमि पर वह अपना 50 वर्षों का कब्जा होना व भूमि नियमन योग्य होना अवगत कराता है। अपील के साथ उसके द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ अपनी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। विवादित आदेश जो जिला कलक्टर द्वारा आबादी में दिये जाने का है, वह वर्ष 2012 का है। यदि हम सन्दर्भ के लिए भी अपीलाण्ट द्वारा जो फोटोप्रतियां दी गई है, उसका अवलोकन करें तो भी यह भी प्रकट आता है कि उसका वर्ष 1996, 1992, 1987 में विवादित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा रहा है, अर्थात् वर्ष 2012 में बवक्त आवंटन से काबिज हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, न ही ऐसे कोई साक्ष्य है जिससे उक्त भूमि पर वह विधिपूर्वक कब्जा रखने को अधिकृत हो अथवा उसने कभी कोई नियमन का आवेदन किया हो एवं वह नियमन की पात्रता रखता हो। प्रथमतया ही प्रकट नहीं है कि वर्ष 2012 में विवादित भूमि पर उसका कब्जा हो एवं कब्जा 50 वर्षों का

निरन्तर हो। तद्नुसार अपीलाण्ट को उक्त अपीलाधीन आवंटन से आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता एवं दफा 96 जा.दी. का आवेदन अस्वीकार किया जाता है एवं तद्नुसार अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती एवं दफा 96 जा.दी. का आवेदन अस्वीकार होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर